फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :— **दरगुडी बाई**

विपक्षी :— **राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा**

किस्म मुकदमा :— 136 एलआरएक्ट

पत्रावली संख्या :— **148/25 वाद**

जीसीएमएस नम्बर :— **2025/514**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 29.08.2025 पत्रावली पेश हुई। राजपैरोकार उपस्थित। बहस प्रार्थना सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थीया द्वारा राजस्व रेकार्ड में अपना स्वयं का नाम दुर्गाबाई पत्नी लच्छा जाति बलाई एवं अपने पुत्र व पुत्री के पिता का नाम लच्छा गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं के आधार कार्ड की फोटोप्रति एवं अपने पुत्र व पुत्रीयो के आधार की फोटोप्रति प्रस्तुत की। ग्राम पंचायत सिन्दू द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति, प्रार्थीया स्वयं का 50/— रूपये स्टाम्प पर शपथ पत्र, सहखातेदार का 50/— रूपये स्टाम्प पर शपथ प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अनुसार नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रार्थीया का नाम दरगुडी पत्नी लच्छीराम मेघवाल एवं पुत्री पुत्रीयो का के पिता का नाम लच्छीराम होना जाहिर होता है। तहसीलदार घासा की रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार भी दुर्गा पत्नी लच्छा बलाई एवं दरगुडी पत्नी लच्छीराम मेघवाल को एक ही महिला होना बताया हैं। पुत्र पुत्रियो के पिता का नाम भी लच्छा के बजाय लच्छीराम मेघवाल बताया है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि ग्रामीण परिवेश में आपस में बोलचाल में अलग नाम से पुकारते है जबकि वास्तविक नाम अलग होता है। पटवारी हल्का द्वारा विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय ग्रामीणों से मृतक के वारिसान के संबंध में पुछताछ/जानकारी करता है तो ग्रामीणजन उनको जिस नाम से पुकारते है वही नाम बता देते है। जिससे उनका [illegible] वास्तवित नाम से पारित नही होकर ग्रामीण क्षेत्र [illegible] है। इस प्रकरण में भी ग्रामीण परिवेश में जिस नाम से पुकारते थे वही नाम राजस्व रिकॉर्ड में	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:57 IST
Reason: SelfAttested

अंकित कर दिया गया, जो कि न्यायोचित नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सिन्दु पटवार हल्का सिन्दु तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता संख्या 112, 299 पर दर्ज आराजीयात भूमि में प्रार्थीया का नाम दुर्गा बाई पत्नी लच्छा बलाई के बजाय दुर्गा बाई उर्फ दरगुडी बाई पत्नी लच्छा उर्फ लच्छीराम मेघवाल संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। इसी प्रकार नन्दुबाई पिता लच्छा बलाई, प्रकाश पिता लच्छा बलाई, भूरालाल पिता लच्छा बलाई, मांगीबाई पिता लच्छा बलाई के बजाय नन्दुबाई पिता लच्छा उर्फ लच्छीराम मेघवाल, प्रकाश पिता लच्छा उर्फ लच्छीराम मेघवाल, भूरालाल पिता लच्छा उर्फ लच्छीराम मेघवाल, मांगीबाई पिता लच्छा उर्फ लच्छीराम मेघवाल संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:57 IST
Reason: SelfAttested